मीरजापुर पुलिस
—प्रेस नोट—

दिनांकः17.11.2024

एसओजी/सर्विलांस व थाना लालगंज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अनुमानित कीमत ₹ 1 करोड़ 25 लाख के अवैध गांजा व तस्करी में प्रयुक्त वाहन (ट्रक) के साथ 02 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार —

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'अभिनन्दन' द्वारा विधान सभा उप चुनाव (मझवां-397) को सकुशल सम्पन्न कराने तथा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ , अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की निर्माण/तस्करी व बिक्री पर अंकुश लगाते हुए संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरूद्ध लगातार अभियान चलाकर की जा रही कार्यवाही में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में थाना लालगंज पुलिस, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिनांकः 16.11.2024 को मुखबीर के सूचना के आधार थाना लालगंज पुलिस, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सघन वाहन चेकिंग कर ट्रक में सवार 02 व्यक्तियों को पकड़ा गया। पकड़े गये अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में अपना नाम-पता 1. राधाराम पुत्र रामबचन निवासी मेवली थाना पकड़ी जनपद बलिया व 2. राजकुमार यादव पुत्र शम्भूनाथ यादव निवासी जनौपुर थाना गड़वार जनपद बलिया बताया गया तथा ट्रक में प्लाईवुड लदा है। ट्रक में लदे प्लाईवुड के पीछे छिपाकर गांजा रखा हुआ हैं। पुलिस टीम द्वारा ट्रक की तलाशी ली गयी तो ट्रक में प्लाईवुड के पीछे छिपाकर रखा हुआ कुल 4 क्विंटल 01 किलो 960 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लालगंज पर मु0अ0सं0-259/2024 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है तथा गांजा तस्करी में प्रयुक्त ट्रक वाहन संख्याः UP78FN6930 को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

विवरण पूछताछ —

पकड़े गये अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वे विशाखापत्तनम प्रान्त से ट्रक में प्लाईवुड के सामान के पीछे छिपाकर गांजा लादकर वाराणसी ले जा रहे थे। जहां से मांग के अनुसार आसपास के जनपदों में सप्लाई करते हैं। जिससे प्राप्त पैसे को आपस में बांटकर भौतिक सुख-सुविधाओं का लाभ लेते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1. राधाराम पुत्र रामबचन निवासी मेवली थाना पकड़ी जनपद बलिया उम्र करीब-42 वर्ष।
2. राजकुमार यादव पुत्र शम्भूनाथ यादव निवासी जनौपुर थाना गड़वार जनपद बलिया, उम्र करीब-28 वर्ष।

बरामदगी विवरण —

- 4 क्विंटल 01 किलो 960 ग्राम अवैध गांजा (अनुमानित कीमत ₹ 1 करोड़ 25 लाख)
- गांजा परिवहन में प्रयुक्त ट्रक वाहन संख्याः UP78FN6930

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0स0-259/2024 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय —

थाना लालगंज क्षेत्रांतर्गत ग्राम चितांग के पास से, दिनांकः 16.11.2024 को समय 21.30 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

थानाध्यक्ष लालगंज-उप निरीक्षक संजय सिंह मय पुलिस टीम।

निरीक्षक राजीव कुमार सिंह प्रभारी एसओजी मय पुलिस टीम।

उप निरीक्षक मानवेन्द्र सिंह प्रभारी सर्विलांस मय पुलिस टीम।